

चतुर्थ अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान

	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
2450	न्याय प्रशासन	100 *
307	अशासकीय संस्थाओं को अंशदान	1530100
4327	सचिवालय	2836100
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1180000000
4948	डिक्री धन का भुगतान (भारित)	40000000
5049	राज्य विधान मण्डल	100 *
5079	विशेष जांच आयोग	1570500
5096	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूंजी	100 *
5371	नया रायपुर डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी	200 *
5455	राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर मेले आदि में जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	5658000
6728	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	500000000
7507	राज्य महिला सशक्ति तकरण मिशन प्राधिकरण अन्तर्गत राज्य महिला केंद्र की स्थापना	1200 *
7693	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान	1062000000
7719	सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, रायपुर	400 *
7758	उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	489500000
7759	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	250000000
7807	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	800000000
7895	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	100 *
7897	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना)	250000000
7918	नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	2300000000
8941	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	80000
9147	रोजगार कार्यालय	41600000
योग		14124776900

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1